(iii) As a result of mounting arrears of outstanding dues. Ministry of Coal advised CIL to start supplying coal to the State Electricity Boards only against, advance payments. This scheme which is better known as 'Cash and Carry Scheme' was introduced w.e.f. 1-10-1991.

(iv) State Governments have been requested to persuade/enable State Electricity Boards to clear the outstanding dues at the earliest.

**कोयला परियोजनाओं को पूरा किया जाना**

2446. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगरानी प्रणाली में प्रभावी रूप से सुधार करके परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** (क) से (ग) कोयला कंपनियों के पास परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक सुसज्जित संरचनात्मक संगठन विद्यमान है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कंपनी में समग्र प्रभार के साथ निदेशक (परियोजना), जिसकी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारी का एक परियोजना सेल कार्यरत है । विभिन्न स्तर पर परियोजना की निगरानी पद्धति को मानकीकृत कर दिया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

| स्तर | के द्वारा | समयावधि |
|---|---|---|
| 1. क्षेत्र | महाप्रबंधक | मासिक |
| 2. सहायक कंपनी | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक<br>परियोजना<br>निदेशक (परियोजना) | मासिक |
| 3. धारक कंपनी | (1) अध्यक्ष | मासिक (अपवाद स्वरूप) |
| | (2) निदेशक मंडल | बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा प्रत्येक बैठक में की जाती है । |
| 4. सरकार | (1) सलाहकार (परियोजना) | मासिक (अपवाद स्वरूप) |
| | (2) मंत्री | तिमाही (बड़ी लम्बित परियोजनाएं) । |

**कोयला अन्वेषण परियोजनाएं**

2447. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला अन्वेषण के कुल कितने कार्य किए गए;

(ख) यह अन्वेषण कार्य किन-किन स्थानों पर किया गया;

(ग) प्रत्येक अन्वेषण कार्य की क्या उपलब्धि रही है; और

(घ) भूमिगत अन्वेषण को प्राथमिकता देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** (क) से (ग) भारतीय भूसर्वेक्षण, जो कि मुख्यत: देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध कोयले के भण्डारों का पता लगाए जाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण किए जाने के लिए उत्तरदायी है, उसने पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कोयला क्षेत्रों के 33 ब्लाकों/क्षेत्रों (सेक्टरों) का अन्वेषण किया है । इसके अलावा केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा खान आयोजन के उद्देश्य से प्रमाणित कोयले के भंडारों के विस्तृत भूगर्भीय अन्वेषण किए जाने के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों/ब्लाकों में अन्वेषण कार्य शुरू किया गया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | ब्लाकों की संख्या | | | | मीटर में की गई ड्रिलिंग | अनुमानित भण्डार (मि० टन में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमिगत प्रत्याशा | ओपनकास्ट. प्रत्याशा | कार्यरत खानें | कुल | | |
| 1990-91 | 74 | 39 | 41 | 154 | 350076 | 3976 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 60 | 46 | 45 | 151 | 278546 | 5136 |
| 1992-93 | 57 | 29 | 45 | 131 | 251665 | 2310 |

उपर्युक्त अन्वेषण कार्य निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में शुरू किया गया—जैसे रानीगंज, झरिया, राजमहल, नार्थ करनपुरा, साउथ करनपुरा, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, रामगढ़, पाठाखेरा, काम्पटी, वर्धा वैली, बंडर, पेंच कान्हा, कोरबा, सोहागपुर, मंड रायगढ़, विश्रामपुर, उमरिया, सेंदुरगढ़, हसदेव-अरंड, लखनपुर, जोड़िला, सोनहट, सिंगरौली, तालचर, इब और माकुम, इत्यादि ।

(घ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान अन्वेषण अधीन 131 अन्वेषित ब्लाकों में से केवल 29 ब्लाक ओपनकास्ट प्रत्याशित, जबकि 57 ब्लाक भूमिगत प्रत्याशित थे और 45 ब्लाक उत्पादन समर्थन अपेक्षाओं के लिए शुरू किए गए थे ताकि विद्यमान भूमिगत खानों से उत्पादन को बढ़ाया जा सके ।

**कोयला धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण में विलम्ब**

2448. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में देरी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो 1987 के पश्चात कितनी धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में देरी की गयी;

(ग) आधुनिकीकरण के कार्य में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** (क) से (घ) 10 विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य (6 भारत कोकिंग कोल लि० और 4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अंतर्गत शुरू किया गया था । आधुनिकीकरण को पूरा किए जाने का कार्य "लघु-अवधि" एवं "दीर्घ-अवधि" उपायों से संबद्ध है, जिसकी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी । लघु-अवधि तथा दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन को दो वाशरियों में पूरा कर लिया गया है अर्थात भारत कोकिंग कोल लि० की मूनीडीह और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की स्वांग वाशरियों में । लघु-अवधि और दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन को दो वाशरियों को पूरा कर लिया गया है । शेष वाशरियों में दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है । विलंब का कारण मुख्यत: कोयला कंपनियों के पास वित्तीय स्रोतों की कमी थी ।

**भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन**

2449. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला कंपनियों के दुलमुल रवैये के कारण भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन स्थिर बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष कितना-कितना रहा; और

(ग) सरकार भूमिगत खानों और खुली खानों से उत्पादन के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले 5 वर्षों से भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों के संबंध में कोयला उत्पादन के लक्ष्य अलग से निर्धारित किए जा रहे हैं ।

**कोयला परियोजनाओं की लागत में अन्तर**

2450. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं की लागत में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** (क) से (ग) जी, हां । विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार कोयला परियोजनाओं के लागत अनुमानों को "चालू कीमतों" के आधार पर निर्धारित किया जाता है और अनुमानों में मुद्रास्फीति के कारण लागत में हुई वृद्धि के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती है । परियोजना निर्माण अवधि के दौरान आमतौर पर लागत में, बाजार मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि होने, करों तथा शुल्कों में परिवर्तन होने और